रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 48] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 18, 1971/पौष 28, 1892

No. 48 NEW DELHI, MONDAY, JANURAY 18, 1971/PAUSA 28, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th January 1971

S.O. 359.—In exercise of the powers conferred by section 21 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. **Short title.**—These rules may be called the Unlawful Activities (Prevention) (Second Amendment) Rules, 1971.

2. After rule 1 of the Unlawful Activities (Prevention) Rules, 1968, the following rule shall be inserted, namely:—

"1A. *Rules also to extend to the State of Jammu and Kashmir.*—These rules shall be deemed to have also extended to, and come into force in the State of Jammu and Kashmir on the first day of September, 1969, the date on which the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967) came into force in that State".

[No. 22/3/71-Pol.I(A).]

T. C. A. SRINIVASAVARADAN, Jt. Secy.

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जनवरी, 1971

का० आ० 359.—विधिविरुद्ध क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम**—ये नियम विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) (द्वितीय संशोधन) नियम, 1971 कहे जा सकेंगे।

2. विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) नियम, 1968 के नियम 1 के पश्चात निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किया जाएगा :—

"1क नियमों का विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य पर भी होगा—

ये नियम सितम्बर, 1969 के प्रथम दिन से, अर्थात् उस तारीख से जिसको, विधिविरुद्ध क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) जम्मू-कश्मीर राज्य में प्रवृत्त हुआ, उस राज्य पर भी विस्तारित और उसमें प्रवृत्त समझे जाएंगे।

[संख्या 22/3/71—राज० 1(क)]

टी० सी० ए० श्रीनिवासवर्दन,
संयुक्त सचिव, भारत सरकार।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971